

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल-3/2019/

भोपाल दिनांक /01/2019

आदेश

प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर में एम.एस.सी. नर्सिंग करने हेतु (स्वयं के व्यय पर) प्रशिक्षण हेतु नर्सिंग संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को अनुमति उल्लेखित शर्तों के अधीन दी जाती है -

क	नाम	पदनाम	जिला	प्रथम नियुक्ति
1.	प्रियंका गारद	स्टाफ नर्स	जिला चिकित्सालय धार	29/01/2013
2.	दिपिका खरे	स्टाफ नर्स	जिला चिकित्सालय खरगौन	14/09/2012
3.	सुश्री पुजा भटवाडा	स्टाफ नर्स	जिला बडवानी	10/10/2013
4.	कु.मौसमी दशहरे	स्टाफ नर्स	जिला चिकित्सालय बालाघाट	12/09/2012
5.	श्रीमती सुषमा सामुएल	स्टाफ नर्स	जिला चिकित्सालय श्योपुर	03/12/2013
6.	पूजा शर्मा	स्टाफ नर्स	जिला चिकित्सालय होशंगाबाद	01/10/2012
7.	अकीला अंसारी	स्टाफ नर्स	जिला चिकि शिवपुरी	24/05/2013
8.	देवकी सनोडिया	स्टाफ नर्स	जिला चिकि.श्योपुर	05/12/2013
9.	श्रीमती अमिता नागपुरे	स्टाफ नर्स	जिला चिकि.इन्दौर	30/07/2013
10.	उर्वशी ठाकरे	स्टाफ नर्स	जिला चिकि इन्दौर	10/04/2013
11.	मंजूलता संजोदिया	स्टाफ नर्स	जिला चिकि राजगढ	22/03/2013
12.	उमा सिंह	स्टाफ नर्स	जिला चिकि गुना	06/03/2013
13.	मधुमिता सातनकर	स्टाफ नर्स	जिला चिकि इन्दौर	26/10/2012
14.	निधी मसीह	स्टाफ नर्स	जिला चिकि अलीराजुर	25/04/2013
15.	उर्मिला शुक्ला	स्टाफ नर्स	जिला चिकि मंदसौर	08/01/2013

चयनित कर्मचारियों हेतु शर्तें :-

- 1- चयनित कर्मचारी सुनिश्चित करें कि वे उक्त कोर्स हेतु निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता रखते हैं।
- 2- प्रशिक्षण हेतु प्रस्थान करने से पूर्व अवकाश आवेदन निर्धारित प्रारूप में भर कर नियंत्रणकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अवकाश खाते में प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त अवकाश उपलब्ध हो, अन्यथा की स्थिति में अवकाश अवैतनिक होगा।
- 3- समस्त चयनित नर्सिंग कर्मचारियों एम.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र शासन के अधीन न्यूनतम 03 वर्ष कार्य करने की सहमति के लिये राशि रुपये 5 लाख का अनुबंध पत्र प्रशिक्षण में प्रस्थान करने के पूर्व नियंत्रणकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करें।

- 4- जिन कर्मचारियों का आर.एन.आर.एम. रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं किया गया है उनके द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश लिये जाने के पूर्व रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल में आवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।

संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी हेतु दिशा निर्देश

- 1 संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी सुनिश्चित करें कि चयनित कर्मचारियों द्वारा उल्लेखित शर्तें पूर्ण की गई हैं तदपश्चात् कार्यमुक्त संबंधी कार्यवाही करें।
- 2 अध्ययन अवकाश की पात्रता अनुसार चयनित कर्मचारियों द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में अवकाश आवेदन कार्यमुक्त करने के पश्चात् 01 माह में संचालनालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगर अवकाश खाते में अवकाश नहीं हुआ तो एम.एस.सी. प्रशिक्षण के दौरान उस अवधि का वेतन नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान असाधारण अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- 3 पोस्ट बेसिक बी. एस. सी. नर्सिंग उत्तीर्ण कर्मचारियों के संबंध में लेख है कि पोस्ट बेसिक बी. एस. सी. नर्सिंग के प्रशिक्षण में अध्ययन अवकाश का उपभोग कर लिया गया है, ऐसे कर्मचारी के खाते में प्रशिक्षण समयावधि में उपलब्ध अवकाश की गणना सहित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें। अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही अध्ययन अवधि में ही की जावे तत्पश्चात् मान्य नहीं होगा।
- 4 एम.एस.सी. उत्तीर्ण करने के पश्चात् मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर आबंटित कार्य करना बंधनकारी होगा।

(आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित)


अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र 9/नर्सिंग/सेल-3/2019/79

भोपाल दिनांक 24/1/2019

प्रतिलिपि - सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्य प्रदेश शासन।
3. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/भोपाल/सागर/रीवा एवं ग्वालियर संभाग मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
6. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, भोपाल म.प्र।
7. संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ।
8. प्रभारी एच.एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
9. आदेश नस्ती।


अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश